

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 क्रम संख्या 108/2025 (देवगढ़) शीर्षक कृषि. 18. चक्र वनाम व. 18. त. 18.

देनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
--------	-----------------	---------------------

30/04/2025
 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
 प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से विभाजन प्रस्ताव अर्थात्
 पुनः लिखा जावे। पत्रावली वाले प्रादेशिक डिप्टी की पालना में
 प्राप्त कले विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23/05/25 को पेश है।

23/05/25
 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
 आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण
 अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
 दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चरपा की गई।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/07/25
 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
 (न्यायालय सहायक कलेक्टर, देवगढ़)

09/07/2025
 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
 प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से विभाजन प्रस्ताव
 अर्थात् पुनः लिखा जावे। पत्रावली वाले प्रादेशिक
 डिप्टी की पालना में प्राप्त कले विभाजन प्रस्ताव
 दिनांक 28/07/2025 को पेश है।

28/07/2025
 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
 आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण
 अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
 दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चरपा की गई।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/08/2025
 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
 (न्यायालय सहायक कलेक्टर, देवगढ़)

06/08/25
 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
 प्रकरण में वादी द्वारा वाद आदिज मिट जाने का निवेदन
 किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता के समक्ष जाहिर की
 प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा केवल वाद आदिज करवाये
 जाने में अथवा कोई कार्यवाही शेष नहीं रहनी है अतः वादी
 का वाद इसी स्तर पर आदिज किया जा रहा है पत्रावली के अंत
 प्रमाण लेना प्रकरण को बंद की जावे।

सहायक कलेक्टर
 देवगढ़, जिला राजसमन्द

Handwritten notes and signatures on the right margin, including dates like 09/07/25 and 06/08/25, and names like 'Sudhakar' and 'Sudhakar'.